राष्ट्रीय लोक अदालत
फर्द अहकाम

लोक अदालत :– तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत
लोक अदालत बैंच(रेवेन्यू) सं. : 01

किस्म मुकदमा – राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 179 / 2024

मीठालाल **बनाम** नाराराम

22-12-2024	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पूर्व में दिनांक 19.12.2024 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 128, 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार कर प्रकरण का निस्ताकरण किया जा चूका है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। दिनेश कुमार गढ़वाल अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच(रेवेन्यू) सं. 01 (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत जिला पाली) श्री उमाराम, नायब तहसीलदार, सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच(रेवेन्यू) सं. 01 सोजत, जिला पाली।	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम , आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 179 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01. मीठालाल पुत्र हेमाराम जाति माली निवासी जैतारणीय गेट के बाहर, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0		01. नाराराम पुत्र हेमाराम जाति माली निवासी जैतारणीय गेट के बाहर, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0 02. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 136 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री सुनील दवे अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक : 19/12/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सोजत चक प्रथम तहसील सोजत पटवार हल्का सोजत प्रथम भू.नि.क्षे. सोजत तहसील सोजत जिला पाली में खसरा संख्या 4908 / 1 रकबा 0.0060 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन तथा खसरा संख्या 4909 / 2 रकबा 0.0390 हैक्टर किस्म जाव अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.0450 हैक्टर कृषि भूमि आई हुई स्थित है, उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 तथा अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि थी, जिस कृषि भूमि का सभी खातेदारान ने आपसी सहमति से बंटवाड़े का दस्तावेज दिनांक 18 / 03 / 2008 को तहरीर व तकमील कर निष्पादित किया गया, जिस बंटवाड़े के अनुसार उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 4908 / 1, 4909 / 2 प्रार्थी के हिस्से में तथा खसरा संख्या 4908, 4909 / 1 अप्रार्थी संख्या 1 नाराराम के हक हिस्से में रही। आपसी सहमति के बंटवाड़े के साथ उक्त वर्णित कृषि भूमि का नजरी नक्शा तैयार किया गया, जिस नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 का खसरा सही तरीके से तरमीम नहीं कर बट्टा नम्बर अलग अलग कायम कर दिये। प्रार्थना पत्र के साथ उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, जिस नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शित हिस्सा प्रार्थी का कब्जासुदा है, जो खसरा संख्या 4909 / 2 है तथा पीले रंग से दर्शित हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का है, जो खसरा संख्या 4909 / 1 है। इस प्रकार माफिक कब्जा अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़े के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम न कर खसरा संख्या 4909 / 2 के स्थान पर खसरा संख्या 4909 / 1 तरमीम कर दिया तथा खसरा संख्या 4909 / 1 के स्थान पर खसरा संख्या 4909 / 2 तरमीम कर दिया, जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऑनलाईन तरमीम करते समय कम्प्युटर व सद्भाविक भूलवश खसरा नम्बर अलग अलग अंकित कर दिये, जबकि राजस्व रेकर्ड मे माफिक इन्द्राज अनुसार म्यूटेशन किया गया जो सही है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित खसरा संख्या 4909 / 1 के स्थान पर 4909 / 2 तथा खसरा संख्या 4909 / 2 के स्थान पर खसरा संख्या 4909 / 1 राजस्व ट्रेस

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)